

सं०- 16/बी1.-26/2017-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अधीक्षक,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-000 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड- 20-2210021010004 माँग संख्या- 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाईयों में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि कुल- 1,84,00,000/- (एक करोड़ चौरासी लाख) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 1,84,00,000/- (एक करोड़ चौरासी लाख) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक-31.03.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड- 20-2210021010004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिका पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक-12.02.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करवाए हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह फरवरी 2018 तक के तिमाही नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

13. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०-

47 'ब' आ. चि.)

/पटना, दिनांक - 19.03.2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

19/3/18

0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना, वित्तीय वर्ष 2017-18

विवरण									
क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	तृतीय अनुपूरक की राशि	कुल उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेतन	01 01	10210000	11000000	21210000	10210000	11000000	21210000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	13376000	2200000	15576000	13376000	2200000	15576000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	1921000	1000000	2921000	1921000	1000000	2921000	0
4	परिवहन भत्ता	01 05	299000	200000	499000	299000	200000	499000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	94000	100000	194000	94000	100000	194000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	145000	500000	645000	145000	500000	645000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		26045000	15000000	41045000	26045000	15000000	41045000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	100000	0	100000	100000	0	100000	0
8	यात्रा व्यय	11 01	50000	0	50000	50000	0	50000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	600000	300000	900000	600000	300000	900000	0
10	वाहन का ईंधन एवं	13 02	100000	0	100000	100000	0	100000	0
11	दूरभाष	13 03	100000	0	100000	100000	0	100000	0
12	विद्युत प्रभार	13 04	100000	900000	1000000	100000	900000	1000000	0
13	विधि प्रभार	13 05	100000	0	100000	100000	0	100000	0
14	वर्दी पोशाक	13 06	40000	0	40000	40000	0	40000	0
15	किराया म0एवं कर	14 01	500000	0	500000	500000	0	500000	0
16	कॉन्फरेंस, कार्यशाला,	20 02	200000	200000	400000	200000	200000	400000	0
17	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	2500000	0	2500000	2500000	0	2500000	0
18	दवा भंडार	21 02	6000000	2000000	8000000	6000000	2000000	8000000	0
19	आहार/पथ्य	21 03	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0
20	लघु कार्य	27 01	1000	0	1000	1000	0	1000	0
21	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	1000	0	1000	1000	0	1000	0
22	सविदा सेवायें	28 02	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0
23	मशीन एवं उपस्कर	52 01	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0
	योग		44437000	18400000	62837000	44437000	18400000	62837000	0

(एक करोड़ चौरासी लाख) रु० मात्र

47 'ब' आ. वि.)
19.03.2018

सरकार के विशेष सचिव
AH